

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 194/2020-21 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा श्री रामगोपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, जालौर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर में किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर श्री रामगोपाल, स.ले.अ. ग्रेड-। द्वारा माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1218/2020 दायर की गई है।

माननीय अधिकरण द्वारा अपने पैरा संख्या 06 में अंकित किया है "अपीलार्थी की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 26.11.2020 तक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह तथा जहां पंचायत राज चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां पर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे।"

आदेश संख्या 194/2020-21 दिनांक 12.10.2020 राज्य सरकार से सक्षम अनुमति उपरांत जारी किया गया है। तत्समय निदेशक महोदय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे एवं राज्य सरकार द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग के पद पर किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन नहीं किये जाने के कारण उक्त पद दिनांक 01.10.2020 से रिक्त चल रहा था। इसलिए राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 12.10.2020 जारी किये गये।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.2(21)वित्त/राजस्व/90 दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित किया हुआ है कि "विशिष्ट परिस्थितियों एवं राज्य हित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।" विभागीय आदेश संख्या 194/2020-21 दिनांक 12.10.2020 राज्य सरकार की अनुमति उपरांत ही जारी किए गए हैं।

अतः श्री रामगोपाल, स.ले.अ. ग्रेड-। के कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, जालौर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर में किये गये स्थानान्तरण राज्य हित में राज्य सरकार से सक्षम अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1/।।) द्वारा जारी किये गये थे। इसलिए उक्त आदेश को परिवर्तित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही श्री रामगोपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/1332

दिनांक:- 9/12/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
3. श्री रामगोपाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)